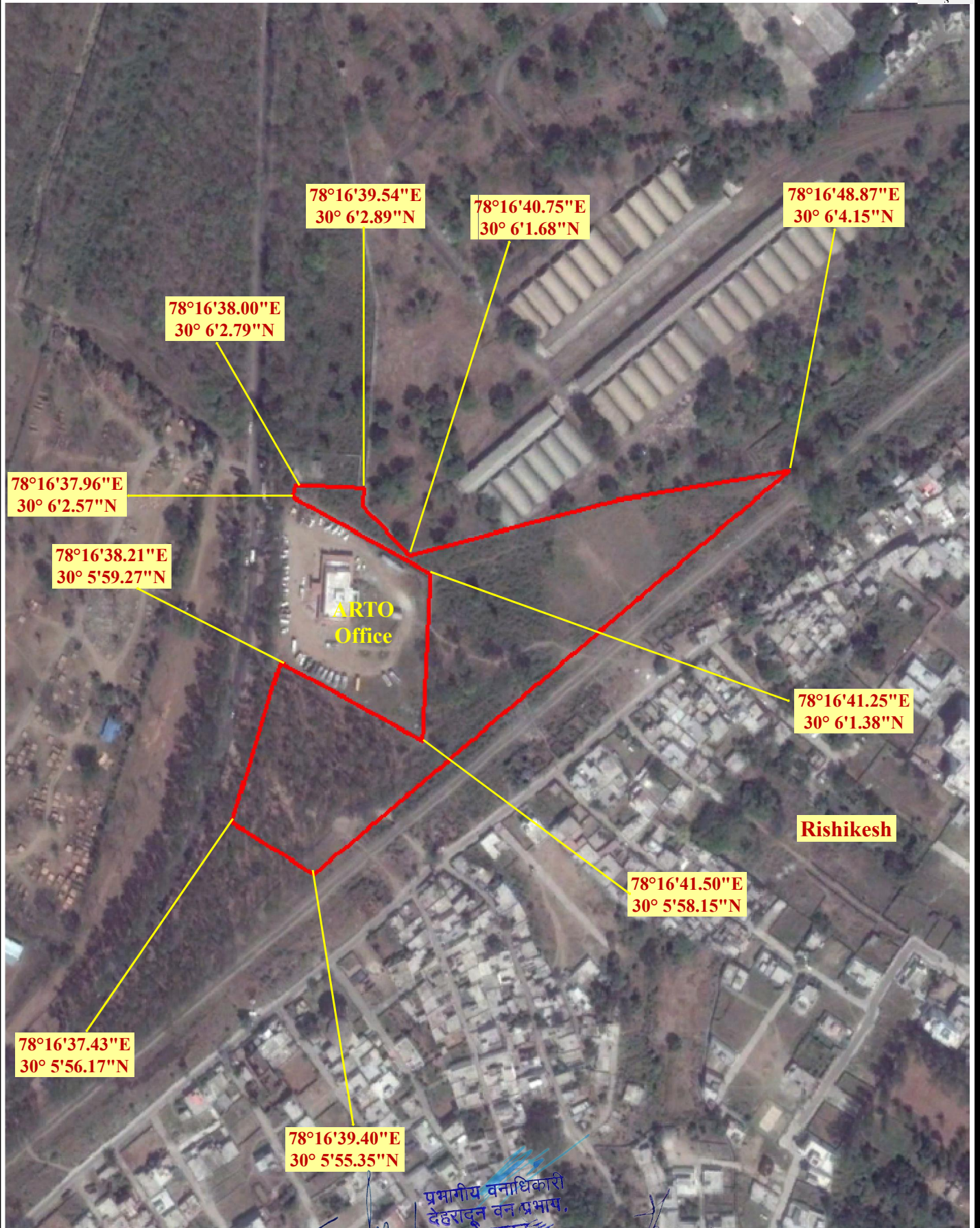


डिजिटल मैप – जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश
कक्ष सं. 03 में परिवहन विभाग को आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु
(क्षेत्रफल 2.02 है०)



Legend

Proposed Land

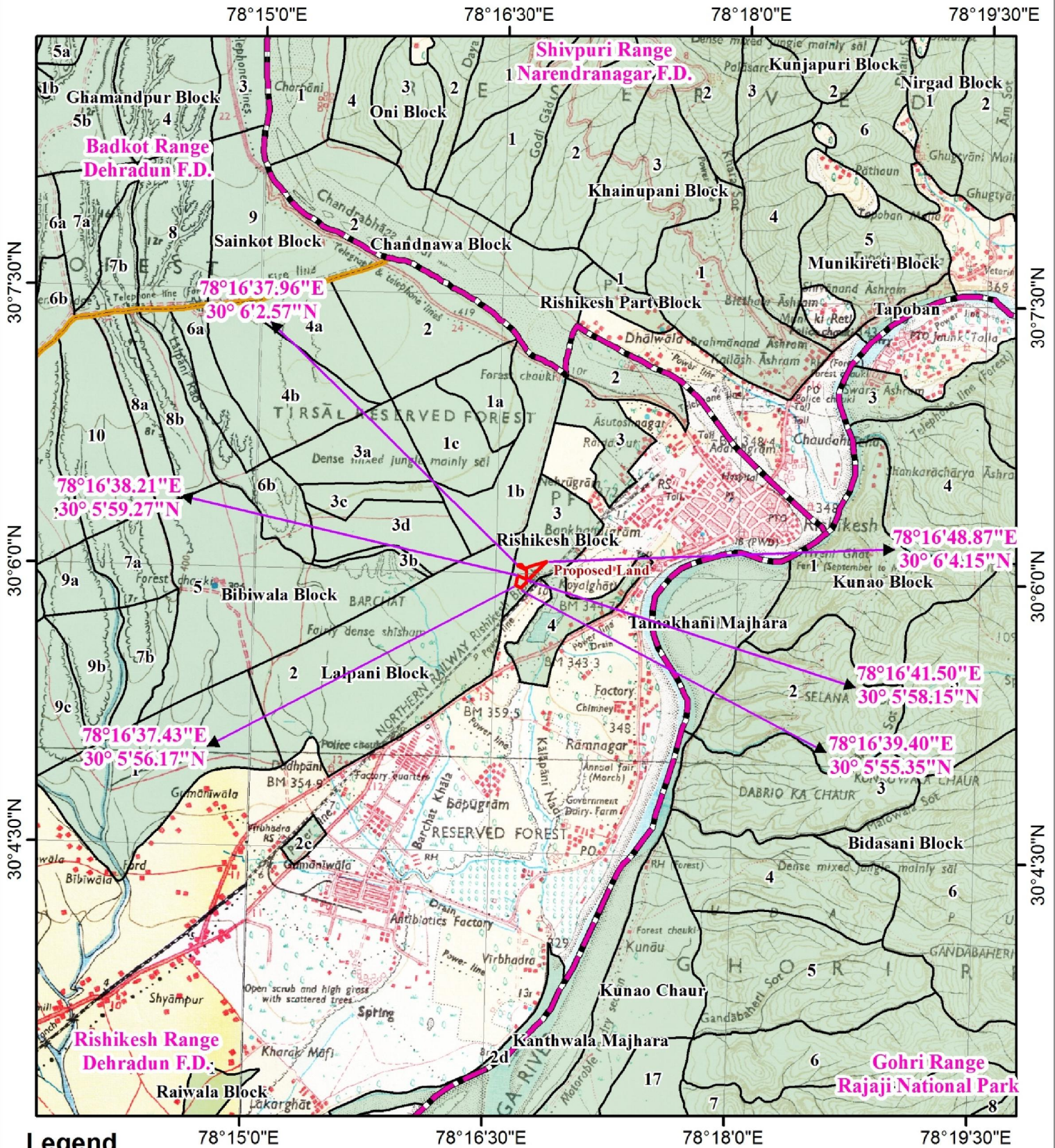
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश

डा० अमिता बमोला
सहाय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश

डिजिटल मैप – जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं. 03 में परिवहन विभाग को आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (क्षेत्रफल 2.02 है०)

0 0.5 1 2 Km



Legend

- Proposed Land
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

डा० राजीव मोला
सहाय प्रभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश, देहरादून।

फोन: 0135-2430623 फैक्स: 0135-2436623,मेल आईडी-artorishikesh.uk@gmail.com
पत्रांक संख्या: 646 /आटो0टे0लेन/2016

दिनांक: 06 जून, 2016

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव/
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या 03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन हेतु 2.02 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा दिनांक-21.08.2016 को ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/OTHER/18161/2015 पर की गई आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मानव हस्तक्षेप के बिना वाहनों की फिटनेस एवं प्रदूषण की जाँच हेतु ऋषिकेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेने निर्माण का निर्णय लिया गया है इस हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश को पूर्व में आवंटित 1.00 हे० वन भूमि से लगी हुई 1.22 हे० वन की आवंटन हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव अपलोड किया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.5.2016 को ई०डी०एस० में की गई आपत्ति की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया बिन्दु 08 के अनुपालन में योजना निर्माण के संबंध में अपनी ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(डा० अनीता चमोला)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून को उपरोक्त विषयक सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० अनीता चमोला)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) ऋषिकेश**

फोन: 0135-2430623, फैक्स: 0135-2436623

ईमेल: artorishikesh.uk@gmail.com

पत्रांक:—645/आटो0टे0लेन/2016

दिनांक—06.06.2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून।

विषय— देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्षा संख्या 03 में परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिंग हेतु 2.02 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ—भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्ताव संख्या—FP/UK/OTHER/18161/2015 दिनांक—21.08.2016 को ऑनलाईन प्रस्ताव ई0डी0एस0 में की गई आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा ई0डी0एस0 में की गई पृच्छा के क्रम में बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

बिन्दु संख्या—1— परियोजना के भाग 1 में यथा आवश्यक संशोधन कर लिया गया है।

बिन्दु संख्या—2— पूर्व में स्वीकृति वन भूमि से सम्बन्धित शासनादेश ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या—3— प्रस्ताव में आनलाइन सूचना ठीक कर दी गई है।

बिन्दु संख्या—4— ऑन लाईन प्रस्ताव में सूचना ठीक कर दी गई है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या—5— सूचना ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या—6— क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि के मानचित्र यथा स्थान अपलोड कर दिये गये है भूमि के म्यूटेशन की कार्यवाही गतिमान है।

बिन्दु संख्या—7— 7 से 9 प्रभाग स्तर से उत्तर दिया जाना है।

बिन्दु संख्या—8— प्रस्ताविक वन भूमि का क्षेत्रफल 1.22 है0 है तथा पूर्व आवंटित वन भूमि 1.00 है0 है कुल 2.22 है0 हाथी गालियार के सम्बन्ध में मुख्य वनजीव प्रतिपालक से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त हेतु कार्यवाही गतिमान है जिसकी प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या—10 परियोजना का ले आउट प्लान अपलोड कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करना चाहें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० अनिता चमोला)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
प्रशासन, ऋषिकेश।

01c

प्रमाण पत्र

विषय:-

देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या 03 में परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिंग लेन हेतु 2.02 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिंग लेन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। जिसकी डी0पी0आर0 व ले आउट प्लान की छायाप्रति भारत सरकार द्वारा परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई गई है।


सहायक संभागीय, परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) ऋषिकेश।

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेश।

पत्रांक-646 आटोमेटेड/2016

दिनांक-6/6/2016

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
देहरादून।

विषय:- देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या 03 में परिवहन विभाग की आटोमेटेड टेस्टिंग लेन हेतु 2.02 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा दिनांक-21.08.2016 को ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/OTHER/18161/2015 पर की गई आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित इठारना सिविल में 4.04 है0 भूमि उपलब्ध है जिसे वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम इठारना में 4.04 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण करने की कृपा करें। ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

भवदीय,

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) ऋषिकेश।

- प्रतिलिपि:- 1. प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून उपरोक्त विषय में सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राप्त
6/6/16

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) ऋषिकेश।

[illegible]

14-1-023

1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235

OTC

उद्देश्येण स्वतन्त्राणि षष्ठवर्षिक ग्राम शिक्षण परगणा तहसील जि० दे० दू० न० १३६२ फ० १४६०

[illegible]

14.1.015
(विद्युत विभाग)
सर्वोच्च-सर्वोच्च

उद्देश्य स्वतन्त्रता वृद्धि

1950-1951

तहसील

Pacificus

आ०६०६

28210

0508

[illegible]

P.T.O.



14.1.036

संविधान-संशोधन

70

उद्देश्य स्वतंत्रता पञ्चवर्षिक वाम अर्ध परगना ५२७६१ तहसील जालंधर जिला देहली १३६२ ५०१४०

घाटे स्वतंत्रता को संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	संख्या नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्लॉट नम्बर	परिवर्तन सम्बन्धी बाजारों का सारांश आना देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा स्वीकृत हुए						कुल
						सन्	फरवरी	सन्	फरवरी	सन्	फरवरी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2071-512-29 अर्धक		992	01.039								
			912	01.025								
			923	01.032								
			983	01.029								
			980	01.092								
			988	2.536								
			2286	01.036								
			2286	01.036								
			68	86.392								

सचिव-उपस्थिति

सचिव-कार्यालय

14-1-83

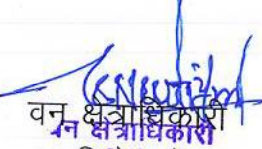
14-1-83

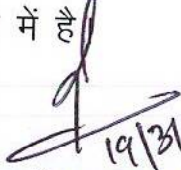
14-1-83

14-1-83

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बीबीवाला बाईपास मार्ग, ऋषिकेश जनपद-देहरादून में परिवहन विभाग की प्रस्तावित ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम गडोल, ईटारना खसरा नम्बर 2336 उपयुक्त है। उक्त वनभूमि 4.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है।


वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश रेंज।
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून


19/3/16
तहसीलदार
ऋषिकेश


सं०सं०परि०अधिकारी
डा० अनीता चमोला
ऋषिकेश।
सहाय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषि

प्रपत्र-23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला कक्ष सं0-03 में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन (2.12 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश) ऋषिकेश की दिनांक 13.02.2015 का कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|--|------------|
| 1- | श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून | अध्यक्ष |
| 2- | श्री भरत सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश वन प्रभाग | सदस्य |
| 3- | श्री सुरेन्द्र सिंह मनवाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्रीमती सरोजनी थपलियाल, बी0डी0सी0 क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (2.12 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना/सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुसंशा की गई।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (2.12 हे0 वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

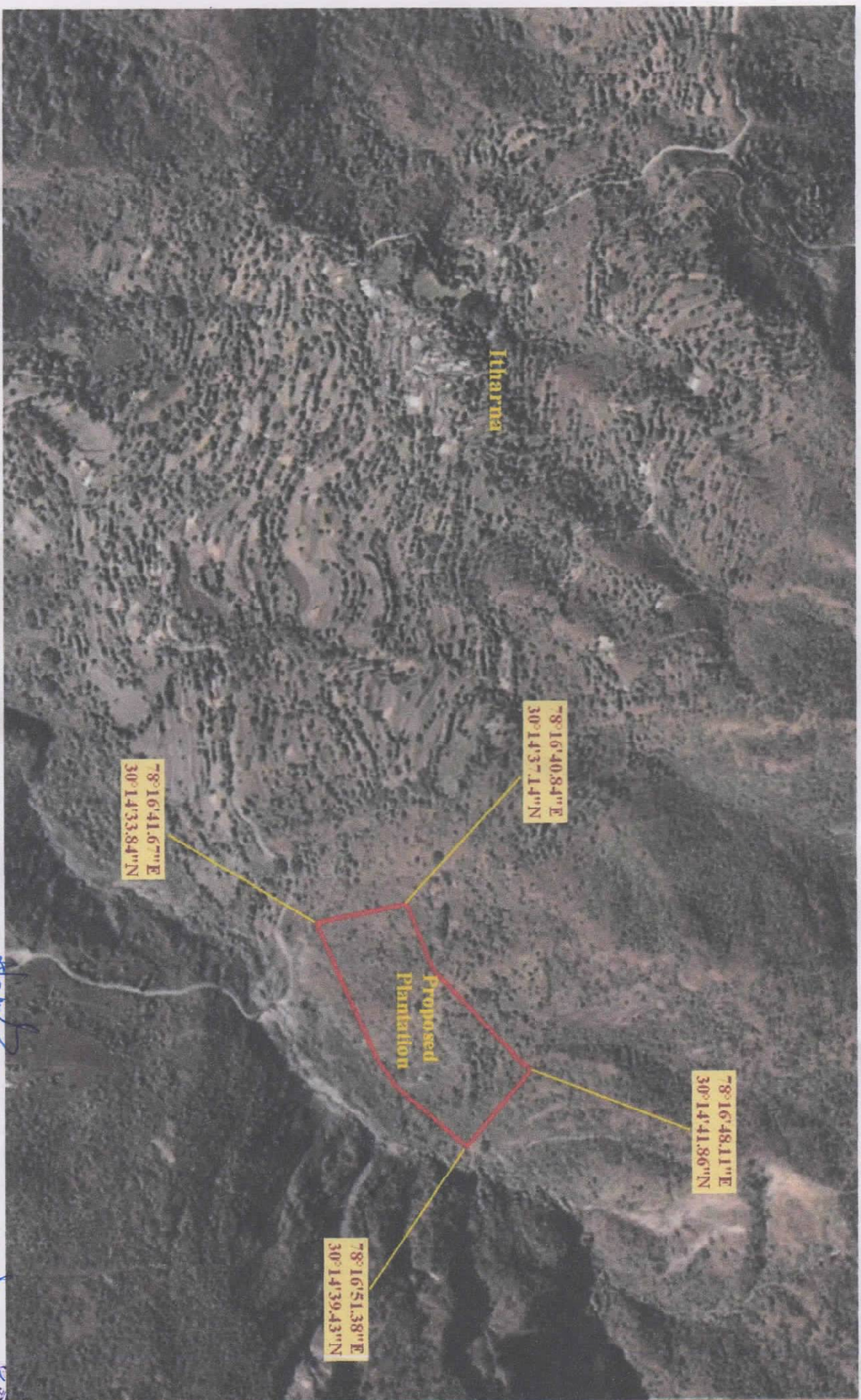
सहायक धन
सूचक पंचायत

ऋषिकेश-प्रभाग (उ०)

मंडल डोईवाला (देहरादून)

सहायक सम्प्रदाय कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड, 16/2/2015

डिजिटल मैप – जनपद देहरादून में परिवहन विभाग के आटोमेटिड टैस्सिंग लेन के स्थापना हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Legend



Proposed Plantation

(जानन्द कुमार जायसवाल)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी

नरिया

25.03.2025